

अपराध का दण्ड हो प्रकार का दण्ड देने में निर्णय दोषपूर्ण हो जाता है।

(ii) निवर्तनवाद (Preventive theory)

इस मत के अनुसार दण्ड का लक्ष्य है कि कोई फिर उस अपराध को नहीं करे। अपराधी को दण्ड के बल उसी को वैसे अपराधों से रोकने के लिए नहीं, अपितु भविष्य में भी वह अपराध हुक जाय, इसलिए दिया जाता है। चोरी और डकैती के लिए दण्ड इसलिए दिया जाता है कि इसे कर्म फिर न हों।

इसके अनुसार दंड देने से अपराध का निवर्तन होता है अर्थात् रुक जाता है। इसकी मान्यता है कि शारीरिक या मानसिक कष्ट के रूप में दंड देने से अपराधी तथा अन्य लोगों में भय का संचार होता है। अतः भविष्य में उस कर्म को नहीं करने की प्रेरणा बनती है। इससे अपराधी तथा समाज के अन्य लोगों को उस अपराध को नहीं करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। अतः निवर्तनवाद के अनुसार दंड अपराधी को तथा अन्य लोगों के लिए एक दृष्टान्त तथा शिक्षा का कार्य करता है। इस मत के अनुसार मृत्यु-दंड वर्जित नहीं है। इस मत की विशेषता है कि यह समाज के भविष्य को दृष्टि में रखता है।

आलोचना

1. इस मत की मान्यता है कि दंड इसलिए दिया जाता है कि कोई फिर उस अपराध को न करे और विशेषकर अन्य लोग भयभीत होकर उस कार्य को नहीं करें। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई अपराधी दूसरों की भलाई का साधन हो जाता है। पर किसी अपराधी को दूसरों के लिए दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को दूसरों का साधन-मात्र नहीं मानना चाहिए। मनुष्य कोई वस्तु नहीं वरन् एक सामाजिक व्यक्ति है और समाज का एक अंग है। उसे साधन-पत्र मान लेना दोषपूर्ण होगा। कांट के अनुसार भी प्रत्येक व्यक्ति साध्य है, साधन नहीं।

2. इस सिद्धान्त के अनुसार दंड अन्य लोगों में भय का संचार करता है और इसी कारण से वे उस अपराध को नहीं करते। पर यदि भय से डरकर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसे ऐसी दृष्टि से अच्छा नहीं कहेंगे। ऐसे कर्म तो ऊपर से लादे गए कर्म हैं, स्वेच्छा से किए गए कर्म नहीं।

3. इस सिद्धान्त में दंड के अनुपात की चर्चा नहीं है। कैसे अपराध के लिए कितना दंड देना चाहिए? अपरोक्ष रूप से जब भय उत्पन्न करने की बात की जाती है तो उसका अंत तो यह होता है कि साधारण अपराध के लिए भी बड़ा दण्ड दिया जाय जिसमें अधिक से अधिक भय का संचार हो और कोई उस अपराध को न करे। अपराध के अनुपात में अधिक दण्ड विधान न्यायोचित नहीं होगा।